रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 177] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

सं. आर. एस 1/4/83-एल —राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 17 अक्तूबर, 1983 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है —

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को मंगलवार, 15

नवम्बर, 1983 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

17 अक्तूबर, 1983

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।''

कृष्णा कुमारी चोपड़ा, अपर सचिव,
कृते महासचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

No. RS.1|4|83-L.—The following order by the President, dated the 17th October, 1983, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Tuesday, the 15th November, 1983, at New Delhi.

The 17th October, 1983

ZAIL SINGH, President."

SMT. K. K. CHOPRA, Additional Secy.
for Secretary General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1983